



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-136-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-8(48)-के/2019

दिनांक: 30 जनवरी, 2020

स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/

पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०,

वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,

केसको, कानपुर।

विषय : M/s Capital Urjatech Ltd., Plot No. 115, Sector Ecotech-12, Greater Noida को व्यापार निषिद्ध आदेश किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (सा०प्र०), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ के पत्र सं० 2306/अधी०अभि०(सा०प्र०)/मविदिगिलि दिनांक 23.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) जो कि M/s Capital Urjatech Ltd., Plot No. 115, Sector Ecotech-12, Greater Noida को व्यापार निषिद्ध आदेश किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करें।

अधीक्षण अभियन्ता (सा०प्र०) के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

मवदीय,

(आर० के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या-136-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (सा०प्र०), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 4 ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र सं०- 2306/अधी०अभि०(सा०प्र०)/मविदिगिलि दिनांक 23.12.2019 के संदर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधीशारी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरि।

(आर० के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या-136-(II)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तपुरम्-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एनपीकेपीआर, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एचपी)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूंग जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉग-793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एचईसी घुर्वा, सैवी-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग को लि, विद्युत सेवा भवन, डंगगिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, उ० दिल्ली पावर लि, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसन लाइन, किंग्स वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि, गुबनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि, शक्ति भवन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लि, ब्लॉक-5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गाँधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि, जनपद, गुबनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता-700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर०सी० देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं०-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि, जी०पी०एच० कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्पोजल डेवलपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाय ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल र्गॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक-यथोपरि।

(आर० के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)



Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited

Head Office: 4 A. Gokhale Marg,
Lucknow

पत्रांक 2306/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/

दिनांक: 23/12/19

Sub: M/s Capital Urjatech Ltd., Plot No. 115, Sector Ecotech-12, Greater Noida को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

संयुक्त सचिव (कार्य)
उ0प्र0पा0का0लि0,
14, अशोक मार्ग,
शक्ति भवन, लखनऊ

2306-अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/दिनांक 23/12/19

कृपया उपरोक्त विषयक आपको निम्नवत् अवगत कराना है।

1. M/s Capital Urjatech Ltd., Plot No. 115, Sector Ecotech-12, Greater Noida द्वारा निविदा विशिष्ट सं0 मेडको/2300/2018 के अन्तर्गत LT XLPE Cable Size 1x1000 Sq.mm. एवं LT XLPE Cable Size 1x630 Sq.mm. तथा निविदा विशिष्ट सं0 मेडको/749/2013 के अन्तर्गत LT XLPE Cable Size 1x630 Sq.mm. आपूर्ति सामग्री के जॉच में असफल पाये जाने पर इस फर्म को इस कार्यालय के पत्र संख्या -1962/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/ दिनांक 31.10.2019 के द्वारा तीन वर्ष के लिये व्यापार निषिद्ध कर दिया गया था।
2. तदोपरांत फर्म द्वारा, विभाग द्वारा व्यापार निषिद्ध किये जाने के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में वाद दायर किया गया था।
3. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नवत् है:-

"In view of the abovesaid facts, as well as keeping in view the order dated 05.11.2019 passed by coordinate bench of this Court as well as law laid down by Hon'ble the Apex Court in the case of Rajasthan Public Service commission and anr. Vs. Harish Kumar Purohit and Ors., 2003 (5) SCC 480, we set aside the order dated 31.10.2019 to the extent of debarment of the petitioner's firm from participation in business for a period of three years. It is with liberty to the respondents to pass an order afresh after giving opportunity of hearing to the petitioner for debarment/blacklisting, if they so chooses. This order will not come in the way for the aforesaid. The petition is disposed of with the aforesaid"

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ ने उपरोक्त पारित आदेश से, इस कार्यालय के पत्र संख्या-1962/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/ दिनांक 31.10.2019 के द्वारा निर्गत व्यापार निषिद्ध आदेश निरस्त कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में फर्म को पुनः अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है जिसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

(एस0एम0 गर्ग)

अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0)

दिनांक:

पत्रांक /अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, मा0वि0वि0नि0लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वा0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/पा0वि0वि0नि0लि0, भेरठ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/केरको, कानपुर।
3. निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सा0प्र0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार भण्डल, लखनऊ।

(एस0एम0 गर्ग)

अधीक्षण अभियन्ता(सा0प्र0)

Re(R)

23-12-19

34 अधीअभि(सा0प्र0)

28/12/19

MAURANDIA

31/12/19

m.m-14

28/12/19

Court No. - 3

Case :- MISC. BENCH No - 34875 of 2019

Petitioner :- M/S Capital Cijatech Ltd.Thru.Director Shray Gupta

Respondent :- State Of U.P.Thru.Prin Secy.Deptt.Of Energy, E- know & Ops.

Counsel for Petitioner :- Shobhit Mohan Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Aprajita Bansal

Hon'ble Anil Kumar, J.

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

Heard Sri J.N. Mathur, learned bench counsel, assisted by Sri Shobhit Mohan Shukla, learned counsel for petitioner, learned State Counsel on behalf of respondent No. 1 & Sri C.S.C. Ms. Aprajita Bansal, learned counsel for respondent Nos. 2 to 4 and perused the record.

Learned counsel for petitioner submits that in respect of the controversy involved in the present writ petition, earlier a Writ Petition No. 30207 (MB) of 2019, has been filed, which was disposed by order dated 05.11.2019, relevant portion quoted as under:-

"In view of the above, we set aside the order dated 11.10.2019 to the extent of debarration of the petitioner from participation in business for a period of three years. It is with liberty to the respondents to pass an order afresh after giving opportunity of hearing to the petitioner for debarration/black listing, if they so choose. This order will not come in the way for the aforesaid."

The petition is disposed of with the aforesaid."

Accordingly, learned counsel for petitioner submits that same writ petition may also be given to the present petitioner.

Ms. Aprajita Bansal, learned counsel appearing on behalf of respondent No. 5 does not dispute the said request.

thus, in view of the abovesaid facts, as well as keeping in view the order dated 05.11.2019 passed by coordinate bench of this Court as well as law laid down by Hon'ble the Apex Court in the case of **Rajsthan Public Service Commission and anr. Vs. Harish Kumar Parohit and Ors., 2003 (5) SCC 480**, we set aside the order dated 31.10.2019 to the extent of debarration of the petitioner from participation in business for a period of three years, with liberty to the respondents to pass an order afresh after giving opportunity of hearing to the petitioner for debarration/black listing, if they so choose. This order will not come in the way for the aforesaid.

The petition is **disposed of** with the aforesaid.

(Saurabh Lavania, J.) (Anil Kumar, J.)